

**संशोधित निविदा सूचना**

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर द्वारा संघालित राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय युसुफपुरा टोंक निम्न सूचिदा कर्मी चौकीदार-5 पर पलेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से सेवायें प्रदान करने के लिए पंजीकृत सेवा प्रदाता एजेन्सी से वर्ष 2017-2018 हेतु खुली दरें इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक देवाआवि/युसु/टों/2017-18/64 दिनांक 28.06.2017 द्वारा आमन्त्रित की गई थी। जिसमें निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जा कर पुनः निविदा दर आमन्त्रित की जाती है।

क.सं	कार्य की प्रवृत्ति	अनुमानित संख्या	अनुमानित व्यय	धरोहर राशि	प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक
1	रसोईया, चौकीदार, सहायक कर्मी, सफाई कर्मी, बागवान व पलम्बर कम इलेक्ट्रीशियन	रसोईया-6 चौकीदार-5 सहायक कर्मी-2 सफाई कर्मी-3 बागवान-1 पलम्बर कम इलेक्ट्रीशियन-1	975000	19500	48750	400	24.07.2017 को दोपहर 1.00 बजे तक	24.07.2017 को दोपहर 3.00 बजे तक

**निविदा आमन्त्रण की शर्तें :-**

1. प्रस्ताव आमन्त्रण की सूचना, निर्धारित प्रपत्र, प्रस्ताव/निविदा की शर्तें वेब साईट [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है या इस कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।
2. बिड/प्रस्ताव के साथ 400/- रुपये बिड शुल्क कार्यालय में डी0डी0प्रस्तुत कर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं।
3. प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 24.07.2017 को दोपहर 1.00 बजे तक पहुँच जाने चाहिए। प्राप्त प्रस्ताव उसी दिन 3.00 बजे उपस्थित बिड दाताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस कार्यालय की कमेटी द्वारा खोला जावेगा।
4. निर्धारित तिथि/समय के पश्चात् प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
5. नियमानुसार आयकर व जी0एस0टी0 की कटौती की जावेगी। सेवाकर का भुगतान फर्म को स्वयं ही जमा कराना होगा।
6. सर्विस प्रोवाइडर एजेन्सी अपनी दरें निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करें तथा पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
7. निविदा दाताओं को 2 प्रतिशत धरोहर राशि 19500/- रुपये का बैंकर्स चैक/डी0डी0/पे ऑर्डर बीड के साथ जमा कराने होंगे।
8. सफल निविदादाता को 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि 48750/- ₹00 कार्यादेश जारी करने से पूर्व इकरारनामों के साथ बैंकर्स चैक/डी0डी0/पे ऑर्डर बीड के साथ जमा कराने होंगे।
9. कार्य की प्रकृति के अनुसार महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।
10. कार्मिकों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी व वृद्धि की जा सकती है।



प्रधानाचार्य

राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय  
विद्यालय युसुफपुरा टोंक

दिनांक:- 18.07.2017

कमांक :-देबाआवि/युसु/टों/2017-18 /127-131

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर राजस्थान।
2. उपनिदेशक महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (राईस) जयपुर राजस्थान।
3. निदेशक महोदय सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार आपकी विभागीय वेबसाईट पर राज्य स्तरीय किसी भी एक पत्रिका में प्रकाशन का श्रम करें।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर को निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन का श्रम करावें।
5. नोटिस बोर्ड सूचना केन्द्र टोंक कलेक्ट्रेट/सान्याआवि टोंक/कोष कार्यालय टोंक।



प्रधानाचार्य